छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा सप्तदश सत्र अंक-02

रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर, 2018

(भाद्रपद 21, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाहन 11.01 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

मानननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 11 सितम्बर, 2018 में लिए गए निर्णय अनुसार निम्नलिखित वित्तीय एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई :-

	वित्तीय कार्य		समय
(i)	वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.		3.00 घंटे
	शासकीय विधि विषयक कार्य		
(i)	छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018	-	15 मिनट
(ii)	छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018	-	15 मिनट
(iii)	छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018	-	15 मिनट

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद - 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, (वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या - 1) **पटल पर रखा।**

3. जुलाई, 2018 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार जुलाई, 2018 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

4. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2018 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2018 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सचिव, विधान सभा द्वारा चतुर्थ विधान सभा के मार्च, 2016 सत्र में पारित 17 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति महोदय तथा अगस्त, 2017 सत्र में पारित 9 विधेयकों में से शेष बचे 2 विधेयकों में से 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं जुलाई, 2018 सत्र में पारित 9 विधेयकों में से पारित सभी विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

6.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री देवजी पटेल
(2) श्री सत्यनारायण शर्मा
(3) श्री संतोष बाफना
(4) श्री शिवरतन शर्मा
(5) श्री धनेन्द्र साहू

7. वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए आज बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर, 2018 की तिथि निर्धारित की।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सत्र की अल्प अवधि को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर निम्नलिखित विधेयकों को आज ही पुर:स्थापित, विचार तथा पारण करने की अनुमति प्रदान की -

(1) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 15 सन् 2018),
(2) छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018), तथा
(3) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन् 2018)

(1) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 15 सन् 2018)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 15 सन् 2018) पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018) पुर:स्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन् 2018)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन् 2018) पुर:स्थापित किया।

9. वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने अनुपूरक बजट अखबारों में लीक होने का उल्लेख करते हुए जानकारी पटल में रखे जाने की अनुमति चाही।

माननीय अध्यक्ष ने अनुमति प्रदान नहीं की।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 13, 29, 36, 41, एवं 64 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो हजार चार सौ तैंतीस करोड़, अठ्हत्तर लाख, एक सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री मोहन मरकाम, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री शिवरतन शर्मा,

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने कथन किया कि कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों को विधान सभा आने से रोका जा रहा है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री संतराम नेताम (जारी)

10. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल एवं श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने कथन किया कि विधायकों को विधान सभा आने से रोका गया है, यह विशेषाधिकार हनन का मामला है इसलिए कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाये।

माननीय सभापति ने कथन किया कि माननीय अध्यक्ष के संज्ञान में यह बात लाई गई है, इसके संबंध में माननीय अध्यक्ष व्यवस्था देंगे। कृपया सदन के संचालन में सहयोग करें।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने आसंदी से विशेषाधिकार हनन के संबंध में व्यवस्था देने का आग्रह किया।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि इसमें किसी तरह का विशेषाधिकार भंग नहीं हुआ है।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने कथन किया कि बैलगाड़ी से आने की जानकारी दे दी थी फिर भी विधान सभा आने से रोका गया, इससे बड़ा विशेषाधिकार हनन क्या हो सकता है। जिन अधिकारियों के आदेश से हमें विधान सभा आने से रोका गया उन पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय भूपेश बघेल जी सहित सभी सदस्यों की बातें मेरे संज्ञान में ला दी गई है। अगर इस तरह की कोई बात हुई है कि किसी सदस्य को विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आने से रोका जा रहा है तो मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा।

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.50 बजे स्थगित की जाकर 1.25 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वस्त किया कि माननीय सदस्यों के कथनानुसार कुछ हुआ होगा तो हम जांच करके दिखवा लेंगे और यदि तथ्य सही पायेंगे तो आपके निर्देश पर हम उचित कार्यवाही भी करेंगे।

11. वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

सर्वश्री संतराम नेताम, अवधेश सिंह चंदेल, कवासी लखमा, देवजी भाई पटेल,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अमरजीत भगत, राजमहंत सांवलाराम डाहरे, बृहस्पत सिंह, केशव चंदा,

12. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि आज लोकसभा सांसद, श्रीमती कमला पाटले अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। सदन द्वारा मेजों की थपथपाहट से उनका स्वागत किया गया।

13. वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री दीपक बैज, डॉ. विमल चोपड़ा, श्री भूपेश बघेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

14. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज लोकसभा सांसद, श्री ताम्रध्वज साहू अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। सदन द्वारा मेजों की थपथपाहट से उनका स्वागत किया गया।

15. वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

सर्वश्री धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

डॉ. खिलावन साहू, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस. सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में दर्ज कार्य पूर्ण होने तक समयवृद्धि की घोषणा की)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2018 (क्रमांक-18 सन् 2018)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2018 (क्रमांक-18 सन् 2018) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनूसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2018 (क्रमांक-18 सन् 2018) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 15 सन् 2018)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 15 सन् 2018) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी), सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 15 सन् 2018) पारित किया जाय।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(3) छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सर्वश्री रामदयाल उईके एवं नवीन मारकण्डेय, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(4) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन् 2018)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन् 2018) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री श्याम बिहारी जायसवाल, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 31 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन् 2018) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

17. नियम 239 के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा एवं माननीय सदस्य सर्वश्री भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, चुन्नीलाल साहू, संतराम नेताम, दीपक बैज एवं दिलीप लहरिया द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं दिनांक 12 सितम्बर, 2018 मेरे समक्ष विचाराधीन हैं।

18. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

चतुर्थ विधानसभा का यह दो दिवसीय सत्रहवां सत्र जो विशेष सत्र भी है, का आज अंतिम कार्यदिवस है । इस सत्र के समापन अवसर पर मैं सर्वप्रथम सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एवं समस्त माननीय सदस्यों के प्रति इस विशेष सत्र के सुव्यवस्थित संचालन में सहभागिता और सहयोग के लिये हृदय से धन्यवाद देता हूं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के अब तक के संसदीय इतिहास में यह कीर्तिमान है कि इस चतुर्थ विधानसभा में सबसे अधिक कुल सत्रह सत्र आहूत हुये तथा इन 17 सत्रों में कुल 145 बैठकों में 845 घण्टे 47 मिनट चर्चा हुई ।

विगत सत्र के अंतिम कार्यदिवस में जब हमने सदन में एक दूसरे को शुभकामनाएं दी थीं, तो हममें से किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि चतुर्थ विधानसभा के विघटन के पूर्व एक बार फिर सदन में हमारी उपस्थिति होगी, किन्तु छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे किसान भाईयों की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए ही उनकी आवश्यकताओं को महसूस करते हुए इस विशेष सत्र को आहूत किया गया और हम पुनः इस सदन में उपस्थित हुए हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है यहां की संपूर्ण अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है और जब तक यहां का किसान सम्पन्न और सुखी नहीं होगा तब तक राज्य के विकास की परिभाषा पूर्ण नही मानी जायेगी तथा किसान भाईयों के लिये जो आपने संवेदनशीलता प्रदर्शित की उसके लिये आप सभी बधाई के पात्र है। यह उल्लेखनीय है कि राज्य के हमारे किसान भाईयों को धान की खरीदी के साथ बोनस प्राप्त होगा। यह निर्णय हमारे किसान भाईयों के प्रति हमारी संवेदनशीलता का जीवंत प्रमाण है।

राजनैतिक प्रतिबद्धताओं के चलते माननीय सदस्यों के मत में भले ही भिन्नता हो परंतु आप सभी की भावना छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों की समृद्धि को समर्पित है। मेरा यह भी विश्वास है कि आप सभी ने अपनी राजनैतिक इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से परे लोकहित और लोककल्याण को ज्यादा महत्व दिया है। आपकी इस भावना के लिये मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं।

इस सत्र के प्रथम दिवस माननीय राज्यपाल बलरामजी दास टंडन, भारत रत्न छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूज्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी एवं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम वित्त मंत्री माननीय श्री रामचंद्र सिंहदेव के निधन पर हमने श्रद्धांजलि अर्पित की । आईये हम सब मिलकर इन महान विभूतियों के व्यक्तित्व से प्रेरणा लें और उसे जीवन में व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करें और एक आदर्श नागरिक तथा एक जनप्रिय जनसेवक बनने का संकल्प लें हमारी यह भावना इन महान व्यक्तित्वों के प्रति हमारी वास्तविक श्रद्धांजलि होगी।

इस विशेष सत्र में कुल 2 बैठकें सम्पन्न हुई जिसमें लगभग 8 घंटे 48 मिनट चर्चा हुई। इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 4 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई और सभी विधेयक पारित हुए। वित्तीय कार्यों के अन्तर्गत द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर 5 घण्टे 33 मिनट चर्चा हुई।

मैं इस विशेष सत्र के सुव्यवस्थित संचालन में माननीय उपाध्यक्ष सहित सभापति तालिका के माननीय सदस्यों, माननीय मंत्रीगणों सहित सभी माननीय सदस्यों को भी उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं।

मैं प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माननीय पत्रकार साथियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया।

सत्र समापन के अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं, सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था इस विशेष सत्र के दौरान कायम रखी। मैं विधान सभा के सचिव सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया।

आज तीज का पर्व है मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से छत्तीसगढ़ की सभी माता-बहनों को लोकपर्व ''तीजा'' की शुभकामनाएं देता हूं। कल से विध्नहर्ता श्री गणेश जी की स्थापना पर्व आरंभ हो रहा है मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देता हूं, कामना करता हूं कि भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे ।

यह सत्र अब अंतिम सत्र कहा जा सकता है क्योंकि शीघ्र ही राज्य में पांचवी विधानसभा के लिये निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ होगी मैं आप सभी के उज्जवल राजनैतिक भविष्य की कामना करते हुए आवाह्न करता हूं कि आईये हम सब मिलकर अपने छत्तीसगढ़ राज्य को समग्र उन्नति के शीर्ष पर पहुंचाने का पुनीत संकल्प लें।

धन्यवाद

जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री, श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस अवसर पर अपने उद्‌गार व्यक्त किए।

19. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण-मन की धुन बजाई गई)

सायं 7.01 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा